रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 6, 1971/आश्विन 14, 1893

No. 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1971/ASVINA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 1971

No. 3/9/71-AIS(IV).—In the following notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. No. 3/23/66-AIS (IV), dated 4th August, 1967
2. No. 3/28/67-AIS (IV), dated 5th February, 1968
3. No. 3/46/67-AIS(IV), dated 5th March, 1968
4. No. 3/28/67-AIS (IV), dated 18th April, 1968
5. No. 3/17/68-AIS (IV), dated 25th January, 1969

the President had been pleased to appoint officers named therein, recruited under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, to the Andhra Pradesh Cadre of the Indian Forest Service with effect from the 1st October, 1966. It is now notified for general information that as a result of the

decisions of the Supreme Court of India in Writ Petitions Nos. 173 to 175 of 1967 and in Special Leave Petitions No. 766/70 and 1574 to 1578 of 1970 in the Supreme Court of India, the appointment of the officers named in the aforesaid notifications to the Indian Forest Service have been rendered *ab initio* void. Consequently, the Central Government proposes to take further steps to make fresh recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the India Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1971

सं० 3/9/71-अ० भा० से० .—(4) भारत सरकार, गृह मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अर्थात्:—

1. सं० 3/23/66-अ०भा०से०(4) दिनांक 4-8-1967
2. सं० 3/28/67-अ०भा०से० (4) दिनांक 5-2-1968
3. सं० 3/46/67-अ०भा०से०(4) दिनांक 5-3-1968
4. सं० 3/28/67-अ०भा०से०(4) दिनांक 18-4-1968
5. सं० 3/17/68-अ०भा०से०(4) दिनांक 25-1-1969

भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम(1) के अधीन किये गये अधिकारियों को जिनके नाम उनमें दिये गये हैं राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में पहली अक्तूबर, 1966 से नियुक्त किया था अब सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1967 की रिट याचिकाओं सं० 173 से 175 तक में और भारत के उच्चतम न्यायालय में 1970 की विशेष अवकाश याचिकाओं सं० 766/70 और 1574 से 1578 तक में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरुप उपर्युक्त अधिसूचनाओं में आये अधिकारियों के नामों की नियुक्तियां प्रारम्भ से ही अमान्य घोषित की गई हैं। इसके फलस्वरुप केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन नयी भर्ती करने के लिए, आगे कारवाई करने का है।

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971